आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

29/2/2020

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
कि0मि0 केस सं0–22/2020
प्रथम पक्ष– इस्लाम शेख
बनाम
द्वितीय पक्ष– लुतफल शेख वगै0
द0प्र0स0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

थाना प्रभारी, राधानगर से प्राप्त अप्राथमिकी सं0– 05/14 में निहित प्रतिवेदन के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों द्वारा शांति भंग हो सकता है। जिससे संतुष्ट होकर दिनांक 15.02.2014 को द0प्र0स0 की धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

विवादित भूमि का विवरण :–

मौजा	ज0नं0	रकवा	चौहद्दी			
			उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
उधवा दियारा	528	00–17–00	हुसैन शेख	नजरूल इस्लाम	नजरूल इस्लाम	कच्ची रास्ता

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि मौजा उधवा दियारा के जमाबंदी नं0– 528 से कुल रकवा 17 कट्ठा जमीन का अंश रकवा 03 कट्ठा जमीन आसमा बीबी के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन पर विपक्षीगण के द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। मना करने पर विपक्षीगण हसुवा हथियार लेकर जान से मारने की धमकी देता है। आसमा बीबी की मृत्यू लगभग 05 वर्ष पहले हो चुकी है। जिससे पांच छोटे–छोटे बच्चे है। विपक्षीगण की धमकी से डरकर अपने बच्चों के साथ घर से भागे हुए है। विपक्षीगण से सार्वजनिक शांति भंग की संभावना बनी हुई है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदक द्वारा जो आवेदन राधानगर थाना में दिये है कि आसमा बीबी के निज नाम से जमीन जो दाग नं0– 528 का कुल रकवा 03 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री केवाला से खरीदा है, द्वितीय पक्षगण जोर जबरदस्ती घर बना रहे हैं, उक्त आवेदन के आधार पर उक्त प्रसंगाधीन वाद प्रारंभ की गई है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मृत पिताजी हामेद शेख अपने जीवंत काल में दो रजिस्ट्री दस्तावेज के जरिये मौजा उधवा के जमाबंदी नं0– 38/1 का रकवा 03 कट्ठा 17 धूर जमीन जिसका डीड नं0– 2785/1966 दिनांक 12.09.1966 एवं मौजा उधवा दियारा के जमाबंदी नं0– 528 का रकवा 08 कट्ठा 10 धूर, जमाबंदी नं0– 33 का रकवा 08 कट्ठा 10 धूर, दोनों जमाबंदी से कुल रकवा 17 कट्ठा जमीन जिसका डीड नं0– 3820/1991 है, अर्थात तीनों जमाबंदी का कुल रकवा 04 बीघा 14 कट्ठा जमीन है, जिसका सरकार को अद्यतन लगान रसीद देते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपस में सगा भाई है। मुस्लिम सैरियत के मुताबिक सभी भाईयों को 12 कट्ठा करके अंश पडता है। प्रथम पक्ष इस्लाम शेख ने छल, बेईमानी व धोखेबाजी की नीयत से अमानत में ख्यानत पहूंचाते हुए रजिस्ट्री दस्तावेज का निष्पादन अपने पत्नी आसमा बीबी,

Scanned with CamScanner

मृत के नाम से जो मौजा उधवा दियारा के जमाबंदी नं0 38/1 का रकवा 13 कट्ठा, जमाबंदी नं0– 528 का रकवा 01 कट्ठा 10 धूर, जमाबंदी नं0– 33 का रकवा 01 कट्ठा 10 धूर सभी जमाबंदी से कुल रकवा 16 कट्ठा जमीन प्रथम पक्ष इस्लाम शेख जानता था कि मेरे अंश में 12 कट्ठा जमीन पडता है, फिर भी छल बेईमानी से 04 कट्ठा जमीन अधिक लिख दिये थे, जिसका रजिस्ट्री दस्तावेज सं0 2040/2033/2010 है। उक्त तथ्यों के विवाद के कारण ग्राम में एक पंचायती बैठाई गई। उक्त पंचायती में प्रथम पक्ष ने दिनांक 10.02.2017 को द्वितीय पक्षगण के पक्ष में लिखकर दिया कि रजिस्ट्री दस्तावेज सं0 2044/2033/2010 में 04 कट्ठा जमीन अधिक लिखा गया है। जबकि मेरे अंश में 12 कट्ठा ही जमीन पडता है। उक्त 04 कट्ठा जमीन में मेरा या मेरे कोई भी वंशज का अधिकार नहीं होगा। कागज लिखकर देने के पश्चात प्रथम पक्ष ने जमीन को छोडना नहीं चाहता है और कहता है कि जमीन नहीं छोडेंगे यह जमीन मेरा है। उक्त तथ्यों के संबंध में अभियोगी लुतफुल शेख ने इस्लाम शेख वगै0 के विरूद्ध श्रीमान् अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है। उक्त वाद को फर्द ब्यान दर्ज एवं अनुसंधान हेतु द0प्र0सं0 की धारा 156(3) में भेजा गया है। आवेदक द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। आवेदक ने अपने मूल आवेदन में दाग नं0– 528 लिखा है, जबकि 528 दाग का कोई जमीन ही नहीं है। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा उधवा दियारा के जमाबंदी नं0– 528, रकवा 17 कट्ठा जमीन में दखल को लेकर आवेदक द्वारा विवाद लाया गयाहै।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत पाया जाता है कि प्रस्तुत विवाद आपसी बंटवारा को लेकर है। उक्त वाद पर निर्णय वर्तमान वाद के माध्यम से संभव नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

अतएव इस निदेश के साथ वाद की काईवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner